(4)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

आम नागरिकगण एवं वासिन्दान ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) जरिये

1. राजवीर सिंह पुत्र कमलसिंह आयु 65 साल जाति राजपूत
2. कुंवरपाल पुत्र जगदीश सिंह आयु 49 साल जाति राजपूत
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तान सिंह आयु 48 साल जाति राजपूत
4. मानसिंह पुत्र सुजानसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत
5. गिर्राज प्रसाद पुत्र प्रभूलाल आयु 56 साल जाति ब्राह्मण
6. उदयसिंह पुत्र गुलाबसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत
7. गोविन्दसिंह पुत्र जगदीश सिंह आयु 45 साल जाति राजपूत
8. विजयपाल सिंह पुत्र रनसिंह आयु 62 साल जाति राजपूत
9. दुर्गा पुत्र चिरंजी आयु 70 साल जाति प्रजापज
10. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल आयु 58 साल जाति जाटव
11. विष्णु शर्मा पुत्र प्रहलाद आयु 35 साल जाति ब्राह्मण

सभी निवासीयान बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) – प्रार्थीगण

बनाम

1. वीरभान सिंह पुत्र स्व. पूरनसिंह आयु 25 साल जाति राजपूत निवासी बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)
2. ग्राम पंचायत फतेहपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)
3. सचिव ग्राम पचांयत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)– अप्रार्थीगण

निगरानी धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 व नाराजगी पट्टा एवं आदेश दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत फतेहपुर पंचायत समिति करौली एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 बाबत् भूमि खसरा नंबर 2677 ग्राम बखतपुरा व ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 2677 किस्म आबादी बाके ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील मासलपुर जिला करौली में ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा पंचायतीराज नियमों के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति मय टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति निगरानी प्रार्थना पत्र पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर जिसकी पंचायत समिति करौली जिला करौली है का पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2019 जो आदेश दिनांक 20.09.2019 की पालना में अप्रार्थी नं. 1 वीरभान सिंह पुत्र स्व0 पूरनसिंह जाति राजपूत निवासी

जिला कलक्टर
करौली

बखतपुरा के हक में खसरा नंबर 2677 की भूमि का 133.33 वर्गगज भूमि का जारी किया गया है वह पूर्णतया विधि विरूद्ध, आर्वीट्रेरी है, सही नहीं है, अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 वीरभान सिंह 25 वर्ष की अवस्था की है और वह अपने पुश्तैनी भवन में अपनी माता–पिता के साथ जन्म से ही निवास करता चला आ रहा है। आज भी उसी भवन में अपनी माता के साथ निवास कर रहा है। वह गृहहीन नहीं है एवं ग्राम बखतपुरा में उसकी खातेदारी की कृषि भूमि भी है जिन पर वह अपनी माता के साथ काबिज है। अप्रार्थी न. 1 वीरभानसिंह पिता का स्वर्गवास हो गया है। अप्रार्थी नं. 1 भवनहीन नहीं है। वह अपने पिता के साथ जन्म से ही जगदीश सिंह व फतेहसिंह के मकान के पास में जो भवन अप्रार्थी नं. 1 है, उसमें रह रही है, वह भवन पट्टाकृत भूमि से करीब एक किलोमीटर दूरी पर है। पट्टाकृत भूमि में कोई भवन पचासों वर्षो से निर्मित नहीं रहा है और यह भूमि अप्रार्थी नं0 1 द्वारा निवास के उपयोग में नहीं हुयी है। इस भूमि में कोई पुराना भवन नहीं है नाही कभी रहा है। अप्रार्थी नं. 1 के हक में जारी पट्टा नियम 157(1) के तहत पूर्णतया अवैध है, मनमाना है, सही नहीं है। पट्टा वहक अप्रार्थी नं. 1 वीरभानसिंह अपास्त किये जाने योग्य है। नियम 145 एवं 146 एवं 148 राजस्थान पंचायती राज नियम की कोई पालना विधिवत तौर पर नहीं की गयी है नाही नियम 157 की कोई पालना की गयी है। इस प्रकार पट्टा जारी दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत फतेहपुर अप्रार्थी संख्या 2 अवैध होने से सही नहीं होने से मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अवैध आदेश बाबत् जारी किये जाने पट्टा है। तब रजिस्ट्रेशन ऐसे अवैध पट्टे का हो जाने से वह पट्टा विधिवत नहीं हो जाता है, सही नहीं हो जाता है। इस पट्टे का रजिस्ट्रेशन ऐसी स्थिति में कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। वैसे भी पट्टे का रजिस्टर्ड होना राजस्थान में आवश्यक नहीं है। ऐसी मान्यता माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रदान की है। अप्रार्थी संख्या 1 वीरभानसिंह स्वयं ही 25 वर्ष का है तब उसका 50 वर्ष से अधिक का 70 वर्ष का सन् 2016 में कब्जा होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं अप्रार्थी नं. 1 की शादी को हुये अभी 40 साल ही हुये है। नियम 157 की भी कोई पालना विधिवत तौर पर पट्टा जारी होने में नहीं की गयी है, पट्टा अपास्त योग्य है। पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2019 भी पूर्णतया अवैध है, सही नहीं है, मनमाना है। पट्टाकृत भूमि में कोई पुराना भवन नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा 1996 से 50 वर्ष पूर्व निर्माण करने का कोई प्रश्न नहीं है। विपक्षी का 50 वर्ष से अधिक समय से पुराने घर पर कब्जा होने का कोई प्रश्न नहीं है। दिनांक 20. 09.2019 के दिवस पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत नियम 145 से 149 एवं 157 की विधिवत पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी नं. 1 के हक में जारी पट्टा भूमि एवं उसकी माता विट्टीदेवी के हक में जारी पट्टाकृत भूमि ग्राम बखतपुरा की आम नागरिकगण के सार्वजनिक उपयोग में 50 वर्ष पूर्व से आ रही है जिसमें मोहल्ले में आने वाली बारातों को ठहरने के लिये ग्रामीणों द्वारा सामूहिक उपयोग के लिये एवं बारातों के भोजन के उपयोग के लिये गांव में होने वाली मीटिंग के लिये, पडौस में स्थित विद्यालय के विधार्थियों के खेलने के लिये सभी नागरिकगण के उपयोग में सार्वजनिक हित में आ रही है एवं कुंवरपाल सिंह वगै0 की कृषि भूमि का आवागमन भी इसी भूमि में होकर है। इस आवंटन से ग्राम बखतपुरा के नागरिकगण भी प्रभावित है। उनके हक–हकूक आहत है। ग्राम पंचायत ने इस स्थिति को भी नजरअंदाज कर पट्टा जारी किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमान् को किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर एवं स्वप्रेरणा से भी ऐसे अवैध पट्टा व आदेश के विरूद्ध रिकॉर्ड तलब कर निगरानी सुनवाई का अधिकार हासिल है। इस भूमि के बगल में दुर्गा प्रजापत, विष्णु ब्राह्मण की मकानीयत है एवं राजवीरसिंह की भी भूमि स्थित है। इस पट्टा की भूमि आम नागरिकगण एवं मौहल्ला प्रजापत जाति के सभी नागरिकगण के सार्वजनिक उपयोग की

जिला कलक्टर
करौली

भूमि है। इस पट्टाकृत भूमि में कभी भी कोई भवन व निवास विपक्षी नं. 1 का नहीं रहा है। उक्त पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 वीरभानसिंह व उसके पिता इसी प्रकार से भूमियों का आवंटन कराकर विक्रय करते रहे है और अनुचित धनलाभ अर्जित करते रहे है। प्रार्थीगण को उक्त पट्टा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 के दिवस सबरजिस्ट्रार मासलपुर में होने के बाद दिनांक 17.12.2019 को जानकारी हुयी और दिनांक 18.12.2019 को इस पट्टा दिनांक 20.09.2019 को मय रजिस्ट्रेशन नकल प्राप्त की है। दिनांक 20.09.2019 के दिवस से दिनांक 18.12.2019 तक की अवधि की जानकारी के अभाव में कण्डौन(क्षम्य) किये जाने योग्य है और रजिस्ट्रेशन दिवस दिनांक 13.12.2019 होने पर एवं जानकारी पट्टा दिनांक 18.12.2019 से यह निगरानी अंदर मियाद प्रस्तुत है। मामला मैरिट पर निगरानी मजबूत है स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण इस पट्टाकृत भूमि को दीगर व्यक्तियों को बलशाली व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी नं. 1 ने लोगों से विक्रय की बातचीत प्रारंभ कर दी है। निगरानी के निर्णय होने में समय लगेगा तब तक विपक्षी नं. 1 को उक्त पट्टाकृत भूमि को हस्तांतरण नहीं करने व हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन नहीं कराने को निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना न्यायोचित है। श्रीमान्जी को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। प्रार्थीयान ने उक्त अवैध पट्टा जारी होने की स्थिति से निवेदन किया है। श्रीमान द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुर से इस पट्टा बाबत आवेदन एवं उसके बाद की गयी समस्त कार्यवाही पत्रावली संकल्प रजिस्टर आदि तलब कर विपक्षी नं. 1 से असल पट्टा रजिस्ट्रेशन दस्तावेज असल तलब कर पट्टा दिनांक 20.09.2019 रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 के बाबत समुचित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। है। अंत में प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने आपत्ति निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 2677 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। अप्रार्थीया विवादित खसरा नंबर पर अपने ससुर व पति पूरन सिंह के समय से उक्त आबादी भूमि पर काबिज है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है और पट्टा जारी करते समय धारा 157 की पूर्ण पालना की जाकर पट्टा जारी किया गया है जो वैधानिक है। अपने भवन से 1 किलोमीटर दूरी का कोई प्रमाण न होते हुए भी तथा दूरी के आधार पर पट्टा निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टा रजिस्टर्ड है। इसको वैधानिक तौर पर निरस्त करने का एक मात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। अदालत हाजा तो अख्तयार समाअत के बाहर है। निगरानी कर्ता के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। केवल राजनैतिक द्वेषता के कारण गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद पट्टा रजिस्टर्ड कराया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की भूमि बाबत् दीगर किसी व्यक्ति का कब्जे के आधार पर आवेदन न होने पर धारा 197 के आधार पर आवश्यक फीस जमा कर विधिवत् पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त निगरानी धारा 137 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत क्षमा योग्य नहीं है। आम ग्रामवासी बखतपुरा वालों के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। अप्रार्थीया बी.पी.एल. की सदस्य है। इस तथ्य को ग्राम पंचायत द्वारा मद्देनजर रखते हुए विधिवत् पट्टा जारी किया गया है। निगरानी के दर्ज तथ्यों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं करने के कारण भी निगरानी खारिज होने योग्य है। धारा 97 के अधिकार जिला कलक्टर को नहीं हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियों को जिला कलक्टर को भी प्रत्यायोजित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.139(5)परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा

जिला कलक्टर
कोटा

पूर्व अधिसूचना जिसके तहत जिला कलक्टर को धारा 97 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी, को अधिक्रमित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप जिला कलक्टर 01.02.2000 के पश्चात् धारा 97 के अंतर्गत शक्यिां प्रयोग करने के लिये अधिकृत नहीं है। आम वासिन्दा के ये लोग निगरानीकर्ता भूमाफिया हैं तथा गरीबों की जमीन को हड़पने पर तुले हैं। उक्त निगरानी में कोई बल नहीं पाया जाता है। इसलिये निगरानी हर हाल में निरस्त योग्य है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का कथन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली को संबोधित पत्र क्रमांक–एस.पी.एल. 2 दिनांक 22.09.2020 में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा दिनांक 20.09.2019 को खसरा संख्या 2677 में 133.33 वर्गगज आवासीय भूमि का पट्टा जारी नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। पट्टाकृत भूमि का निरीक्षण दिनांक 18.09.2020 को ग्राम रोजगार सेवक श्री धर्मेन्द्र सिंह जादौन के साथ करने पर मौके पर एक अस्थाई टीनशैड झोंपड़ी टाइप बनी हुई है जिसकी बिना सीमेन्ट बजरी के सूखी चुनाई की दीवार बना रखी है। पटवारी से भूमि की पहचान के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि को आबादी भूमि में बताया है। जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की छायाप्रति संलग्न है। नियम 145 के अंतर्गत क्रय के लिए आवेदन, नियम 146 के अंतर्गत स्थल निरीक्षण एवं नियम 148 के अंतर्गत आक्षेप आमंत्रण का नोटिस जारी करने का प्रावधान है। आवेदन पत्र, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं आपत्ति आह्वान पत्र आदि संलग्न है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली ने पत्रांक–पंसक/कोर्टकेस/2020/1122 दिनांक 21.10.2020 से सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली द्वारा दिनांक 21.10.2020 को की गई जांच की रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके अनुसार सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के साथ दिनांक 21.10.2020 को मौका देखा गया। मौके पर उपस्थित लोगों विरजू पुत्र चिरंजी प्रजापत व महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत निवासी बखतपुरा के बयान दर्ज किये गये। ग्रामवासियों के बयान, मौका निरीक्षण तथा ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार– 1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी दोनों पट्टों में आम रास्ता पूर्व दिशा में दिखाया गया जबकि मौके पर आम रास्ता उत्तर दिशा में है। 2, स्थानीय निवासी दुर्गा प्रजापत के घर को जाने वाला रास्ता पश्चिम दिशा में है जबकि पट्टे में यह प्रदर्शित नहीं है। इससे विवादित भूमि के दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों का रास्ता बाधित होता है। विवादित भूमि पर विट्टी देवी/पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी बखतपुरा एवं वीरभानसिंह पुत्र पूरण सिंह जाति राजपूत निवासी बखतपुरा काबिज हैं। उक्त जारी किये गये पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। नियम 157(1) की पालना नहीं करते हैं।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। आराजी खसरा नं. 2677 किस्म आबादी बाके ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील मासलपुर जिला करौली में ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है एवं दिनांक 13.12.2019 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है। उक्त पट्टे के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है उक्त धारा के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित करने के अधिकार को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.139(5)परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा अधिक्रमित कर लिया गया है एवं दिनांक 01.

जिला कलक्टर
करौली

02.2002 के पश्चात् जिला कलक्टर धारा 97 के अंतर्गत शक्तियां प्रयोग करने के लिये अधिकृत नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ.4(10)पंरावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 31.12.2004 के द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 01.02.2002 द्वारा अधिक्रमित की धारा 97 की शक्तियां (पंचों को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा)पुनः उसी दिनांक 01.02.2002 से पुनर्स्थापित कर दी गई हैं। अतः इस प्रकरण में जिला कलक्टर को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार है। विवादित भूमि, आबादी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास अन्य भवन है जिसमें वह अपनी माता के साथ निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र लगभग 25 वर्ष है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा 50 वर्ष पूर्व का नहीं हो सकता। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी दोनों पट्टों में आम रास्ता पूर्व दिशा में दिखाया गया जबकि मौके पर आम रास्ता उत्तर दिशा में है। स्थानीय निवासी दुर्गा प्रजापत के घर को जाने वाला रास्ता पश्चिम दिशा में है जबकि पट्टे में यह प्रदर्शित नहीं है। इससे विवादित भूमि के दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों का रास्ता बाधित होता है। उक्त जारी किये गये पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय नक्शा सही नहीं बनाया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) की पूर्ण पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हम पट्टे को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया पट्टा संख्या 4 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली